बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक –प्र०/ऊर्जा–DDUGJY 03/2015 ________ पटना, दिनांक ________________

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय :– **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग कृषि फीडर के निर्माण, वितरण एवं उप संचरण लाईन सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण तथा मीटरीकरण करने हेतु नोडल एजेंसी आर०ई०सी० द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत 17 जिलों के लिए 2433.13 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत 2615.63 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति एवं अन्तर की कुल राशि 182.50 करोड़ (एक सौ बयासी करोड़ पचास लाख) रूपये राज्य योजना से उपलब्ध कराने की स्वीकृति तथा इसके क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में 182.50 करोड़ (एक सौ बयासी करोड़ पचास लाख) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

राज्यादेश संख्या 2453 दिनांक 23.08.2015 के द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग कृषि फीडर के निर्माण, वितरण एवं उप संचरण लाईन सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण तथा मीटरीकरण करने हेतु नोडल एजेंसी आर०ई०सी० द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के लिए 2433.13 करोड़ रूपये की अनुमोदित स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 2433.13 करोड़ रूपये का 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी आर०ई०सी० के माध्यम से अनुदान स्वरूप, 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा (रूपये 243.31 करोड़) हिस्सा पूंजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलबध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति तथा नये शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक भू–खण्ड के क्रय में आने वाले वास्तविक व्यय की शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य योजना से करने की स्वीकृति एवं आर0ई0सी0, बिहार सरकार तथा वितरण कम्पनी के बीच त्रिपक्षीय एकरारनामा करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्यादेश सं0– 161 दिनांक– 24.01.2017 द्वारा 75.00 करोड़ रूपये एवं राज्यादेश सं0– 930 दिनांक– 16.03.2017 द्वारा 51 करोड़ रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्यादेश सं0– 2815 दिनांक– 11.09.2017 द्वारा 50.00 करोड़ रूपये अर्थात कुल 176.00 करोड़ रूपये उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराया गया है।

2. विदित हो कि प्रतिस्पर्धात्मक निविदा आमंत्रित कर विभिन्न संवदको को कार्य आवंटित किया गया, जिसमें आर0ई0सी0 द्वारा स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) के अतिरिक्त बी0पी0एल0 विद्युत संबंध, 63 के0भी0ए0 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफार्मर एवं अन्य के परिणास्वरूप योजना की लागत 2433.13 करोड़ रूपये से बढ़कर 2615.63 करोड़ रूपये हो गयी है। योजना के कार्यान्वयन हेतु आर0ई0सी0 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्यादेश की राशि स्वीकृत राशि से अधिक होने पर अन्तर की राशि की व्यवस्था वितरण कम्पनी/राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। परियोजना को मार्च 2019 तक पूरा किया जाना है। निधि के अभाव में भुगतान नहीं होने पर कार्य के प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

3. उक्त आलोक में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग कृषि फीडर के निर्माण, वितरण एवं उप संचरण लाईन सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण तथा मीटरीकरण करने हेतु नोडल एजेंसी आर०ई०सी० द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत 17 जिलों के लिए 2433.13 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत 2615.63 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति एवं अन्तर की कुल राशि 182.50 करोड़ (एक सौ बयासी करोड़ पचास लाख) रूपये राज्य योजना से उपलब्ध कराने की स्वीकृति तथा इसके क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में 182.50 करोड़ (एक सौ बयासी करोड़ पचास लाख) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3 यह राशि बजट मांग संख्या– 10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190– सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश उपशीर्ष –0106 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की परियोजना विपत्र कोड–10–4801051900106 विषय शीर्ष– 54.01 निवेष के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4 इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी0 एल0 खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0047–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, व्यय शीर्ष एल0 8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–के0–8448001200047 में जमा की जाएगी।

5 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी0एल0 खाता संख्या **PLA 275** से की जायेगी।

6 वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7 उक्त योजना की पुनरीक्षित स्वीकृति हेतु माननीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र०/ऊर्जा–DDUGJY 03/2015 के पृष्ठ संख्या– 54/टि० पर दिनांक 09.07.2018 को प्राप्त है।

8 राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र०/ऊर्जा–DDUGJY 03/2015 के पृष्ठ संख्या–57/टि० पर दिनांक– 10.08.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांकः– प्र०/ऊर्जा–DDUGJY 03/2015 **दिनांक**

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांकः– प्र०/ऊर्जा–DDUGJY 03/2015 2256 **दिनांक** 14/08/2018

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/ संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग /लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।